नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी

चौथी डेरी बनाम ओमप्रकाश
हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्त हस्ताक्षर जज

नम्बर व ता
अहकाम जो इ
की तालीम में

प्र०प० 251 RTA 5-5-83/2022

आने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस हेतु सहमति व्यक्त की। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।

( अनिल कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

16.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने भूमि खसरा नम्बर 471, 472 अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा भोजमेड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के खातेदार काश्तकार है व प्रार्थीगण संख्या 5 से 7 ग्राम भोजमेड के ही खसरा नम्बर 475, 476 की भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 भूमि खसरा नम्बर 901 अवस्थित तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के खातेदार काश्तकार है व उक्त खसरा नम्बर में शामलाती हवेली के पूरबमुखी उत्तरी दिशा में बनी हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 901 तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर से भूमि खसरा नम्बर [illegible] के लिए भूमि खसरा नम्बर 893 में से [illegible] नम्बर 893 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक [illegible] पश्चिमी तरफ से उत्तर दक्षिण 12 फुट का रास्ता मौके पर प्रार्थीगण काम में लेते किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं है। जिसके कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ते के आवागमन में व्यवधान पैदा करते है व आने जाने से मना करते है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | चौथी देवी बनाम मोहम्मद<br>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर अहकाम की तालीम |
|---|---|---|
| 21.08.2025 | वाद - 89/2022 | |

भूमि खसरा नम्बर 901 तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी व ग्राम भोजमेड चिपलाटा में खसरा नम्बर 894 के सटाकर स्वंय की कृषि भूमि खसरा नम्बर 472 में जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर नही होने व उक्त रास्ते में अवरोध पैदा होने से अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पाते है। उक्त रास्ता सबसे छोटा व सबसे नजदीक है एंव इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 472, 474 में आने जाने हेतु नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 893 व 894 में प्रस्तावित रास्ता जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए उक्त रास्ते की एवज मे प्रचलित डी.एल. सी. दरों से 12 फुट चौडे रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की किमत अथवा भूमि देने हेतु तैयार होने से प्रार्थीगण को धारा 251 (ए) में चाहे गये वांछित रास्ता जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट में दर्शित किया है। उक्त रास्ते बाबत अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 9 ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ईकबालिया जवाब भी पेश किया जाकर सहमति दी गयी है। उसी अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा तन् ग्राम चीपलाटा भोजमेड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 471, 472, 475, 476 में आवागमन का रास्ता ग्राम बुर्जा की ढाणी में स्थित खसरा नम्बर 901 से नाजायज तरीके से अप्रार्थीगण की ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 893, 894 में से होकर गलत व नाजायज तरीके से चाहा गया है जबकि भूमि खसरा नम्बर 471, 472, 475, 476 में आवागमन के दो रास्ते पूर्व से मौजूद है जिसमें एक रास्ता ग्राम सकराय से चौथी आ[illegible] है एंव दूसरा रास्ता सांवलपुरा तंवरान की ओर से [illegible] प्रार्थीगण के पास भूमि खसरा नम्बर 901 तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी में प्रार्थीगण के पास राजस्व रिकार्ड व नक्शा टेस में रास्ता पूर्व से मौजूद होने से प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की बदनियति से पक्षकारों का कुसंयोजन करके एंव आपसी दुरभी संधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

धारा 251/BNS केस नं.: 89/2022

करके प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने का निवेदन अपनी बहस मे किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सम्यक मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 901 तन् ग्राम बुजों की ढाणी की उत्तरी सीमा पर बने आवेदक के मकान से राजस्व ग्राम भोजमेड पटवार हल्का चीपलाटा के भूमि खसरा नम्बर 471, 472, 475, 476 तक जाने हेतु आवागमन बाबत कोई रास्ता नही होना प्रकट होता है। खसरा नम्बर 893 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे एंव खसरा नम्बर 894 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 901 से राजस्व ग्राम भोजमेड के भूमि खसरा नम्बर 471, 472, 475, 476 के निकटतम रास्ता होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एंव पक्षकारान् मे आपसी सहमति नहीं बन पाई है। अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौके की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता बाबत कोई आपत्ति या एतराज प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है एंव ना ही प्रार्थीगण के पास निकटतम व लघुत्तम रास्ता होने बाबत ही अवगत कराया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पास तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना प्रकट होता है। अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु कौनसा रास्ता लघुत्तम व निकटतम है तथा कौनसा रास्ता दीर्घत्तम होकर ज्यादा सुलभ है। प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्व [illegible] वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक [illegible] श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] जरिये पत्रांक 1718/राजस्व/2025 दिनांक 7.01.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी को अपने निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एव ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध है

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | [illegible] |

[illegible] चाही गया रास्ता निकटतम है जो खसरा नम्बर 893 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे एवं खसरा नम्बर 894 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 901 से राजस्व ग्राम भोजमेड़ पटवार हल्का श्रीगत्साटी के भूमि खसरा संख्या 471, 472, 473, 475, 476 तक निकटतम रास्ता बनता है। प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 893 की उत्तरी सीमा एवं खसरा नम्बर 894 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 4 मीटर चौड़ा व 192 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रस्तावित किया है। भूमि खसरा नम्बर 894 कुल रकबा 1.08 हैक्टर किस्म बारानी 3 में से रास्ते का प्रस्तावित रकबा 0.0304 हैक्टर दर प्रति हैक्टर 883000/– में दुगुनी राशि 53700/– रूपये व खसरा नम्बर 893 कुल रकबा 2.02 हैक्टर किस्म बारानी 3 में रास्ते का प्रस्तावित रकबा 0.0464 हैक्टर दर प्रति हैक्टर 883000/– में दुगुनी राशि 82000/– रूपये रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 0.0304 + 0.0464 कुल 0.0768 हैक्टर अर्थात कुल 768 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 135700/– रूपये अक्षरे एक लाख पैंतीस हजार सात सौ रूपये होती है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता एंव प्रस्तावित रास्ते की कुल दूरी 192 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई में होना प्ररतावित किया है। खसरा नम्बर 893 एंव 894 पर घोघडी पत्नि प्रहलाद पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2023 में दिनांक 31.07.2024 को मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश जारी होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 894 में रास्ता चालू होने एव खसरा नम्बर 893 में कुल लम्बाई 116 मीटर में से लगभग 50 मीटर के बाद (उत्तरी–पश्चिमी से) लगभग 5 मीटर में रास्ता खाई खोदकर [illegible] से अवरुद्ध होने तथा शेष दूरी [illegible] आवेदक के मकान को जोडना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी [illegible] में अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि

उपखण्ड अधिकारी

| हुक्म का कार्यवाही मय संक्षिप्त हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| ओर डेरी अन्य उनमें [illegible] | |
| [illegible] RB ई.- 89/2022 | |

जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने हेतु लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है। प्रार्थी ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने या वर्तमान प्रचलित सी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 152 मीटर लम्बाई में एंव 4 मीटर की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित सी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कुल राशि 135700/- रूपये अक्षरे एक लाख पैंतीस हजार सात सौ रूपये मात्र देने पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यतिक आवश्यकता होने तथा रास्ता निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|

उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनका हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 901 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 894 कुल रकबा 1.06 हैक्टर में से 0.0304 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 893 रकबा 2.02 हैक्टर में से 0.0464 हैक्टर भूमि कुल 0.0768 हैक्टर अर्थात कुल 768 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आने वाले सम्पूर्ण रक्बे की भूमि का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की सिंचित दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जावे उसकी दुगुनी राशि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा आकलित प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 135700/– रूपये अक्षरे एक लाख पैंतीस हजार सात सौ रूपये तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राज्यकोष में जमा ली जानी है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली देखी। उभय पक्षकार उपस्थित। 25-8-22 | |

रास्ता प्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 4 मीटर चौड़ाई व 192 मीटर लम्बाई की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियों बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 893 व 894 में दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से (यदि पूर्व में दिनांक 17.01.2025 को भिजवाई गई डी.एल.सी. दरों की सूचि में कोई बदलाव हुआ हो तो) पुनः गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त दिगर न्यायालय का स्थगन ना होने पर राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि [illegible] अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति [illegible] प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] कर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

( अनिल कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)